न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–47/24–25

श्री रामकेश्वर तिवारी वगै0 बनाम श्री संतन तिवारी वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
25.09. 25	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित, द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रस्तुत अभिलेख आवेदक श्री रामकेश्वर तिवारी पिता स्व0 छत्रधारी तिवारी ग्राम–डंगराडीह थाना–राजपुर जिला–चतरा के द्वारा ग्राम–डंगराडीह के खाता संख्या–14,15,16,17, एवं 18 में बंटवारे में विसंगति एवं राजस्टिर–II में अतिरिक्त नाम जोड़े जाने से असंतुष्ट होकर विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से विविध वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष की ओर से आवेदन–सह–अभिकथन दाखिल किया गया है, द्वितीय पक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा जवाब दाखिल करने हेतु समय की मांग किया गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन–सह–अभिकथन में यह उल्लेख करते हैं कि ग्राम डंगराडीह का खाता सख्या 16 एवं 17 सर्वे खतियान में सीटन तिवारी वगैरह के नाम से दर्ज है, खाता नं0–14,15, 16 एवं 17 में चारो खाता का कुल रकवा–2.63 एकड़ है, सर्वे खतियानी के अनुसार आवेदक तथा विपक्षीगण को आधा–आधा हक हिस्सा बनता है अर्थात आवेदक का 01 एकड़ $31\frac{1}{2}$डी0 का हिस्सा तथा तथा विपक्षीगण का 01 एकड़ $31\frac{1}{2}$डी0 जमीन पर हिस्सा बनता है। हिस्सा के अनुसार आवेदक तथा विपक्षीगण का अपना–अपना हिस्सा के जमीन पर जोत–कोड़ एवं दखल कब्जा चला आ रहा है। पूर्व से अर्थात जमीन्दारी के समय से उक्त चारो खाता के जमीन तथा समिलात खाता–18 का जमीन मिलाकर आवेदक की माँ आनन्दी कुंवरी पति–स्व0 छत्रधारी तिवारी के नाम से उक्त चारो खाते तथा समिलात खातो को मिलाकर 1 एकड़ 34डी0 का रसीद जमीन्दारी के समय से कटते चला आ रहा है। विपक्षी संतन तिवारी	

की मां सुमित्रा कुवंरी पति स्व0 ब्रहमदेव तिवारी तथा पदुम कुंवरी पति स्व0 हितलाल तिवारी के नाम से उक्त चारो खाते तथा समिलात खाता मिला कर इन दोनो के नाम से 01 एकड़ 34 डी0 का रसीद कटते चला आ रहा है। पंजी II में कर्मचारी के गलती से डिमाण्ड रजिस्टर में आनन्दी कुंवरी, पदुम कुंवरी तथा सुमित्रा कुंवरी का नाम चढ़ गया है जो बिलकुल गलत है जो सुधार योग्य है। डिमाण्ड रजिस्टर में आनन्दी कुंवरी पति स्व0 छत्रधारी तिवारी के नाम 01 एकड़ 34डी0 तथा 1 एकड़ 34डी0 का रसीद, पदुम कुंवरी तथा सुमित्रा कुंवरी के नाम से कटना चाहिए।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने अभिकथन में आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि दिनांक–25.06.2025 को आपस में लिखित फैसला हुआ जिसमें विपक्षीगण स्वीकार किये है कि, आवेदक का आधा जमीन है तथा जजमनकैय भी आधा है, सभी 06 विपक्षीगण पंचो के सामने लिखित रूप से स्वीकार किये है कि, आवेदक रामकेश्वर तिवारी का आधा जमीन पर हक हिस्सा तथा दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऑनलाईन में जो 1/3 किया गया है उसे 1/2 कर देने एवं प्रथम पक्ष की माँ की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी माँ के स्थान पर प्रथम पक्ष का नाम चढ़ा देने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–324 दिनांक–18.08.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:–

- प्रश्नगत भूमि पर दोनो पक्ष की जमांबंदी क्रमशः Online पंजी II के पृष्ठ संख्या–291/1 एवं 290/1 पर कायम है जो एक ही दाखिल खारिज वाद संख्या–155/89–90 से की गई है।
- उभय पक्ष जमांबंदी के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर दखलकार हैं एवं जोत–कोड़ कर रहे है।
- ग्राम पंचायत राजपुर मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली एवं खाता

सं0–14 खेवट सं0–2/8 में दर्ज रैयतो के अवलोकन से पता चलता है कि कन्दन तिवारी वल्द रीझन तिवारी व बुझन तिवारी वल्द चामो तिवारी दो रैयत (हिस्सेदार) है। कन्दन तिवारी में पदुम कुमारी पति रितलाल तिवारी वो सुमित्रा कुमारी पति ब्रहमदेव तिवारी आते है तथा बुझन तिवारी में आनन्दी कुमारी पति छत्रधारी तिवारी आते है।

निष्कर्षः– द्वितीय पक्ष द्वारा अपने पक्ष में कोई कागजात या लिखित जवाब दाखिल नही किया गया उनके द्वारा कागजात समर्पित नही कर मात्र समय की मांग की जा रही है जिससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष का वाद निष्पादन के कोई अभिरूचि नही है, द्वितीय पक्ष का उद्देश्य मात्र न्यायालय का समय बर्बाद करना है। प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन–सह–अभिकथन एवं प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस तथा अंचल अधिकारी कान्हाचट्टी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि यह मामला हक–हकियत से संबंधित है, जिसका निष्पादन राजस्व न्यायालय से संभव नही है

अतः वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष मामले को सक्षम न्यायालय मे ले जा सकते है

(लेखापित एवं संशोधित)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by VAIBHAV KUMAR SINGH
Date: 2025.12.27 15:48:31 +05:30
Location: 10.93.10.12